भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 952
दिनांक 08 फरवरी, 2024

राजसहायता प्राप्त दरों पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति

†952. सुश्री देबाश्री चौधरी:
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मिट्टी के तेल की राजसहायता प्राप्त दर पर पुन: आपूर्ति शुरू करने सम्बन्धी मछुआरों के अनुरोध पर विचार करने वाली है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाले गैर-राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल आउटबोर्ड मोटर बोट का उपयोग करने वाले मछुआरों की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मछली पकड़ने के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को गैर-राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार मिट्टी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का आबंटन केवल खाना पकाने और प्रकाश करने के प्रयोजन के लिए करती है। सरकार ने दिनांक 21 अगस्त 2012 के आदेश द्वारा राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान गैर-राजसहायता प्राप्त दरों पर प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक अनुष्ठानों, मतस्य पालन, विभिन्न यात्राओं आदि जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए आबंटित एक माह के पीडीएस मिट्टी तेल के कोटे को निकालने के लिए समर्थ बनाया है। मिट्टी तेल की प्रदूषित प्रकृति पर विचार करते हुए एसकेओ के आबंटन को पीडीएस के तहत तर्कसंगत बनाया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा गैर-राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल का वार्षिक आबंटन किया जाता है। राज्य/ संघ शासित प्रदेश उपलब्ध कोटा की समाप्ति पर अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, गैर-राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल की वितरण योजना सम्बंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित और नियंत्रित की जाती है ।

दिनांक 1 मार्च, 2020 से पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य को अखिल भारत आधार पर शून्य अल्प वसूली स्तर पर बनाये रखा जा रहा है।

अभी तक वर्ष 2023-24 के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य से मतस्य पालन के लिए गैर-राजसहायता प्राप्त पीडीएस एसकेओ के आबंटन को बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।यद्यपि, जब भी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, उपरोक्त वर्णित कारकों पर विचार करते हुए उसपर कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य के लिए गैर-राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल का वार्षिक आबंटन और लैप्स मात्रा निम्नानुसार है:

(आकड़ें केएल में)

वर्ष	**राज्य**	**गैर-राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल**	
		आबंटन	**लैप्स मात्रा**
2022-23	महाराष्ट्र	2328	2328
	पश्चिम बंगाल	58668	58668

(स्रोत: पीपीएसी)